Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.889, Volume 12, No. 03, July-September 2022, pp. 129-132

महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता

ललिता धाकड़*
डॉ. भारती विजय**

सार

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रंजत नगपगतल में।
पीयूष स्त्रोत सी वहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।

नारी के श्रद्धय एवं पूज्य स्वरूप को कवि ने उपरोक्त पंक्तियों में दर्शाया है, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक नारी पूज्यनीय व महान मानी गयी है। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, सहास, भक्ति एवं सेवा की सजीव मूरत है। जीवन के हर सुखःदुख छाया की भॉति पुरूष पुरूष का साथ देने के कारण अर्द्धांगिनी? घर की व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी स्वरूप जैसे अनेकों गुणों के कारण देवी कहलाती है। प्रत्येक महिला का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की परम्परागत प्राचीन संस्कृति रही है। स्मृतियों से संविधान तक आत–आते नारी को प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार कर दिये है। इस अधिकारों की क्रियान्वित के लिए महिलाओं को जागरूक आवश्यक है। वस्तुतः संविधान में महिलाओं को दिये गये अधिकारों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब महिलाओं की वर्तमान सोचनीय विक्रत परिस्थितियों की सूरत में बदलाव आयेगा और यह तभी सम्मान है जब शिक्षा के साथ–साथ प्रत्येक महिला अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक होकर सामाजिक उत्पीड़न, उपेक्षा, अवहेलना एवं अत्याचारों को सहन करने के स्थान पर उनका विरोध करने हेतु समर्थ हो सकेगी।

शब्दकोशः *भारतीय संस्कृति, अर्द्धांगिनी, सामाजिक उत्पीड़न, उपेक्षा, अवहेलना।*

प्रस्तावना

महिलाओं के बिना किसी भी समाज में जनजीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती अर्थात महिला सम्पूर्ण विश्व में परिवार निर्माण की धुरी बनकर इसकी रचना एवं सृजन करती है। मूल भारतीय परम्परा एवं संस्कृति में भी महलाओं को सूरत, समृद्धि एवं ज्ञान का प्रतीत माना जाता है। जिसको अभिव्यक्त करने के लिए उसके लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा स्वरूपों की पूजा की जाती है। नारी के आत्मबलिदान द्वारा समय–समय पर ऐसी ज्योति प्रज्जवलित हुई जिसके पुनीत प्रकाश में पुरूषों ने अपना मार्ग ढूंढा है, नारी की भक्ति की शक्ति के आगे यमराज की भी हारना पडा। सावित्री, वीरगना रानी लक्ष्मी बाई, तपस्विनी उर्मिला जैसी नारियों की दिव्य झांकिया प्रेरणा के स्त्रोत है और ये पुरूषों को चेतना एवं प्रसारण का संदेश देती हैं। नारी का सम्मान करके ही पुरूषों का जीवन कुसुम सुवासित होता है।

* पी.एच.डी.–शोधार्थी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान।
** शोध निर्देशिका, एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान।

130 Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME), Volume 12, No. 03, July-Sept. 2022

महिला सम्मान देश की परम्परागत संस्कृति होते होते हुए भी वर्तमान समय में महिला की स्थिति विरोधाभासी होती जा रही है एक तरफ तो समाज में महिला के शक्ति रूप को देवी रूप में प्रतिष्ठत किया जाता है। ये दोनों की अतिवादी धारणाए प्रत्येक महिला के विकास में बाधक सिद्ध हुई हैं क्योकि वर्तमान में भी पुरूष अपनी प्रधानता को छोडना नहीं चाहता जिससे पुरूष वर्ग किसी ना किसी रूप में महिलाओं का शोषण करता है। पुरूष समाज द्वारा महिलाओं को आरोपित मर्यादा और आधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया जाता है लेकिन सर्वविदित है कि समाज के निर्माण एवं विकास में महिला एवं पुरूषों दोनों की परस्पर सहभागिता एवं साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। महिला एवं पुरूष समाज रूपी गाडी के दो पहिए होते हैं।

अतः समाज के सुचारू संचालन हेतु महिला एवं पुरूष दोनों की सहभागिता अतिनावर्य होती है जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे लेकिन यह सर्वविदित है कि दुनिया में सर्वाधिक अपराध एवं अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते रहे हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गये है ताकि वे सम्मानपूर्वक समाज में अपनी जीवन व्यतीत कर सकें। महिला अधिकारो के अनुरूप महिलाओं के प्रति विशेष व्यवहार या सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। महिला आन्दोलनों एवं महिला प्राथमिकता के इस दौर में संवैधानिक रूप से प्राप्त अधिकार एक तरफ तो महिलाओं को सम्मानजनक एवं सकारात्मक स्थिति प्रदान करते है वही उसकी ओर महिला अधिकारों का हनन मात्र अपराधी ही नहीं करते अपितु पुलिस एवं सुरक्षा अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं है। महिलाओं को आमतौर पर शोषा या अत्याचार हेतु एक आसान लक्ष्य माना जाता है इसलिए सम्पूर्ण विश्व में महिलाऐं अत्याचारों का शिकार बनकर निरन्तर शोषित हो रही है। चाहे घर हो बाहर, स्कूल हो या कार्यस्थल महिलाओं को हर स्थान पर शोषण का शिकार बनना पड़ता है।

महिला संरक्षण हेतु समय–समय पर काफी प्रयास किये गये है। जैसे–संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि "संयुक्त राष्ट्र के लोगो ..... मूलभूत मानव अधिकारों में व्यक्ति की गरिमा व मूल्य तथा महिला पुरूष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लागों ..... "समस्त नागरीकों को ....."। प्राप्त कराने के लिए ..... दृढ संकल्प होकर ..... अधिनियमित एवं अत्यार्प्रित करते है।" इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिलाओं के अधिकारों एवं समानता की घोषणा की गई और महिलाओं एवं समानता की घोषणा की गई और महिलाओं को बिना भेदभाव के अपने अधिकारों की अधिकारी माना गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सोच का विकास करना।
- वास्तविक परिपेक्ष में महिलाओं के प्रति दुषित मानसिकता में परिवर्तन लाना।
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- महिलाओं की सशक्त एंव सुदृढ सोच को बढ़ाने हेतु विभिन्न माध्यमों का पता लगाना।

आंकड़ो का संकलन

द्वितीय संमाको का संकलन विषय से सम्बन्धित पूर्व में किये गये प्रकाशित शोध ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों एवं इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में पुस्तकालय अध्ययन पद्धति के साथ–साथ उदात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर दर्जा प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता में विवाह, तलाक, कार्यक्षेत्र, सम्पत्ति के अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ समता के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता हो तथा दैनिक समाचार पत्रों की दिन व दिन की घटनाए महिलाओं के अत्याचारों की कहानी कहती हैं।

वर्तमान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अपनी चरम सीमा पर हैं जैसे– बलात्कार, दहेज के लिए बहु को जनाना, प्रताडित करना, बालिका भ्रूण हत्या, अपहरण आदि घटनाए प्रतिदिन कहीं न कहीं घटित हो रही है। कानूनी रूप से महिलाओं के शोषण व अत्याचारों के विरूद्ध अनेकों प्रावधान हैं। जो उन्हें व अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में सहायक होगें।

महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु विविध प्रावधान जो उन्हे सामाजिक, आर्थिक रूप से ससक्तता प्रदान करते है को विश्लेषित करने पर ज्ञात होता है कि अधिकारों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।

महिला हितों की रक्षा करने तथा उसको समानता के साथ न्याय दिलाने सामाजिक शोषण, अपैक्षित स्थितियों से अभारने हेतु अनेकों संवैधानिक एंव कानूनी प्रावधान दिये गये है। जैसे–विधि के समक्ष समानता का अधिकार–अनु. (64), जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार समानता का अधिकार अनु. (15) महिला एवं बच्चों के हित में कुछ विशेष अपलब्ध करने का अधिकार अनु. (153), नौकरी के अवसरों की समानता का अधिकार अनु. (16), महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनु 0–39 (39–ए), महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनु. 0–39, विभिन्न कानूनी अधिकार – घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (2005), कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण हेतु महिला अधिकार (2013), प्रसुति लाल अधिनियम (2017), दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961), धारा 66 के अनुसार सूर्वादय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात महिलनाओं को कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तथा किसी भी अपराध के विरूध गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता।

हाल ही में सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के अनुसार अकेली रहनने वाली महिला खुद के नाम पर राशन कार्ड बनवा सकती है। लड़कियों का ग्रेजुएशन की फ्री ऐजुकेशन का अधिकार, यदि अभिभावक अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर देते है तो बालिका होने पर वह दुबारा शादी कर सकती है उसकी नाबालिक शादी मान्य नहीं होगी। तथा स्त्री पुरूषों की समानता को और प्रधानता देते हुए दोनों की शादी की उम्र 21 वर्ष करना। अतः भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्त्री पुरूष एवं महिलाओं को बारबरी का स्वतंत्रता, समानता का, शाषण, अत्याचारों से बचाव आदि से संबंधित सभी अधिकार समान रूप से प्रदान किए गये हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश या समाज अपने विकास में महिलाओं की भूमिकाओं को नकार नहीं सकता फिर भी समाज में महिलाऐं क्रूर समाजिक अत्याचारों एवं शोषण का शिकार होती आई है। शोध पत्र में उन संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है जो महिलाओं अपने अधिकारों से सम्बन्धित है जिनके बारे में प्रत्येक महिला को जानना आवश्यक है। महिला अधिकारों से सम्बन्धित सरकार निरन्तर प्रयासरत रहती है जिससे महिलाओं को सम्मान जनक स्थिति प्राप्त हो लेकिन सम्बन्धित अधिकारों एवं कानूनी की क्रियान्वित के कमी के कारण महिलाओं की स्थिति सोचनीय बनी हुई है। वस्तुतः महिलाओं को दिए गये अधिकारों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब महिलाओं की शोषित एवं विक्रत पस्थिस्तियों में बदलाव आयेगा और यह तभी सम्भव है जब शिक्षा के साथ–साथ प्रत्येक महिला अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक होकर सामाजिक उत्पीड़न, उपेक्षा, अवेहलना एवं अत्याचारों को सहन करने के स्थान पर उनका विरोध करें तथा प्रत्येक महिला को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश की प्रत्येक बालिका और हर नारी को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक बनाने में अपना योगदान प्रदान करना होगा।

सुझाव

- महिला अधिकारो के कानूनों को किताबों के दायरे को बाहर निकालकर ईमानदारी एवं दृढतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए।
- समाज राज्य एवं देश स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रत्येक महिला को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाये।
- प्रत्येक महिला को उसके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों का विकासर सरकार द्वारा किया जाए।
- महिला उत्पीड़न, शोषण, अत्याचारों के विरूद्ध सामाजिक रूप से संवेदीकरण सशक्त एंव सकारात्मक कदम बढाए।
- महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता वह प्रक्रिया है जो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारा, शोषण व दमन आदि के खिलाफ आवाज उठाकर उसे निष्प्रभावी बनाने में एक ठोस कदम होगा।
- समुचित एवं त्वरित न्याय प्रबन्धन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए संबल प्रदान करेगा और वे इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकेंगी।

♦❐♦